पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

मिशन शक्ति 5.0: गली मोहल्लो में महिला सशक्तिकरण का संदेश
महिलाओं और बच्चों का हक, पिंक बूथ ने बताए अधिकार।

दिनांक- 09.02.2026

थाना हसनगंज की पिंक बूथ 60 टीम द्वारा राहगीरो (महिलाओं, छात्राओं और बच्चो) को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक । महिलाओं व छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना हसनगंज की पिंक बूथ टीम द्वारा मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें 60 सदस्यीय टीम ने राहगीर महिलाओं, छात्राओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं व छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला आरक्षी पूनम चौधरी, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी ज्योति राठौर, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थानाक्षेत्र हसनगंज में भ्रमणकर

प्रतिभाग-

- महिला आरक्षी पूनम चौधरी, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी ज्योति राठौर, पिंक बूथ 60 थाना हसनगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थानाक्षेत्र हसनगंज में भ्रमणकर करीब 20- 25 महिलाए व बच्चे।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.02.2026 को थाना हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत करीब 20- 25 महिलाए व बच्चो को अपराध/साइबर अपराध/सी0ई0आई0आर पोर्टल/यूपी कॉप ऐप एवं सभी **महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:** उन्हें आपात स्थिति और सहायता के लिए सभी जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जैसे: 1090: महिला पावर लाइन (Women Power Line), 112: आपातकालीन सेवाएं (Emergency Services) 108: एम्बुलेंस सेवा (Ambulance Service), 1098: चाइल्डलाइन (Childline), 1076: टोल-फ्री हेल्पलाइन आदि।

महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

महिला अपराध, साइबर अपराध एवं आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन

- **1090 (महिला पावर लाइन):** महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के लिए प्रमुख हेल्पलाइन।
- **112 (आपातकालीन सेवाएं):** किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए एकीकृत नंबर।
- **108 (एम्बुलेंस सेवा):** तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए।
- **1098 (चाइल्डलाइन):** बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट के लिए।
- **1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन):** सामान्य सहायता और जानकारी के लिए।

डिजिटल संसाधन एवं पोर्टल

- **साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आधिकारिक पोर्टल।
- **यूपी कॉप ऐप (UP COP App):** उत्तर प्रदेश पुलिस का मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से त्वरित सहायता, लोकेशन शेयरिंग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

"मिशन शक्ति" के लक्ष्य:

- **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
- **सुरक्षा जागरूकता:** महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा) की रोकथाम और रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता फैलाना।
- **शिक्षा का महत्व:** छात्राओं को शिक्षा के महत्व और करियर के अवसरों के बारे में प्रोत्साहित करना।
- **स्वास्थ्य और स्वच्छता:** महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी साझा करना।
- **डिजिटल सुरक्षा:** साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना।

पिंक बूथ टीम की भूमिका:

पिंक बूथ आमतौर पर पुलिस या महिला हेल्पलाइन से जुड़ी होती है। उनका सीधा संपर्क राहगीरों से होना एक प्रभावी तरीका है ताकि आम जनता, विशेष रूप से महिलाएं और युवतियां, सीधे तौर पर जानकारी हासिल कर सकें और अपनी समस्याओं को साझा कर सकें।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-244

दिनांक-09.02.2026

जोन- पश्चिमी / थाना- सआदतगंज

- **थाना सआदतगंज पुलिस टीम द्वारा धर्म संपरिवर्तन कराने वाले अभियुक्त को मात्र 02 घण्टे में किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.02.2026 को वादिनी/पीड़िता द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद निजाम मूल निवासी ग्राम जहेदीपुर पोस्ट साहपुर वासुदेव थाना माधोगंज जनपद हरदोई हाल पता शैलेन्द्र के मकान में किरायेपर बुद्देश्वर थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष ने मेरे साथ वर्ष 2015 में रितेश कुमार मौर्या पुत्र नितेश कुमार मौर्या बताकर आर्य समाज मंदिर पुरनिया लखनऊ में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। मेरी बड़ी बेटी के वर्ष 2018 में जन्म होने के बाद उसने अपना असली नाम मो0 आसिफ बताया तथा तभी से मेरा धर्म परिवर्तन कराया व नकाब पहनने के लिए कहता रहता है, नहीं पहनने पर मारता पीटता है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 029/2026, धारा 74/85/115(2)/351(2) बीएनएस एवं धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 09.02.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अवैध रूप से धर्म संपरिवर्तन कराने के कृत्य में संलिप्त अभियुक्त मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद निजाम मूल निवासी ग्राम जहेदीपुर पोस्ट साहपुर वासुदेव थाना माधोगंज जनपद हरदोई हाल पता शैलेन्द्र के मकान में किराये पर बुद्देश्वर थाना पारा लखनऊ उम्र लगभग 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मो0 आसिफ उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद निजाम मूल निवासी ग्राम जहेदीपुर पोस्ट साहपुर वासुदेव थाना माधोगंज जनपद हरदोई हाल पता शैलेन्द्र के मकान में किरायेपर बुद्देश्वर थाना पारा लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 29/2026 धारा 74/85/115(2)/351(2) बीएनएस व 3/5 उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना सआदतगंज लखनऊ

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 योगेन्द्र कुमार थाना सआदतगंज लखनऊ।

2.उ0नि0 रोहित सरोज थाना सआदतगंज लखनऊ।

3.उ0नि0 सूरज कुमार थाना सआदतगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-243
दिनांक-09.02.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-दुबग्गा

- **महिला के गले से सोने की चेन चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद लॉकेट पीली धातु बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.01.2026 को कोतवाली दुबग्गा के कानपुर बाईपास चौराहे के पहले मन्दिर के पास एक महिला के गले से सोने की चेन अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा श्री शशीकान्त राजपूत पुत्र दयाशंकर लोधी निवासी ग्राम मुन्नाखेडा सैथा पोस्ट बरावन कला थाना दुबग्गा लखनऊ की सूचना पर मु0अ0सं0-37/2026 धारा 304(2) भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

विवेचना से अभियोग मे धारा 304(2) बी0एन0एस0 से धारा 303(2) बी0एन0एस0 मे तरमीम करते हुए विवेचना सम्पादित की जा रही थी। आज दिनांक 09.02.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभि0/चोर गोविन्द पुत्र प्रेमलाल निवासी मलेहरा, थाना सण्डीला जनपद हरदोई हाल पता मां कृपा होटल के पीछे, बुधेश्वर थाना पारा, लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष को मुकदमा उपरोक्त की माल मशरूका लॉकेट के साथ सब्जी मण्डी समिति गेट नं0 04 के पास से रात्रि 12.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-गोविन्द पुत्र प्रेमलाल निवासी मलेहरा, थाना सण्डीला जनपद हरदोई हाल पता मां कृपा होटल के पीछे, बुधेश्वर थाना पारा, लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 37/2026 धारा 303(2)/317(2) भा0न्या0सं0 कोतवाली दुबग्गा लखनऊ

04-बरामदगीः-

- 01 अदद लॉकेट पीली धातु

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम पुलिस—

1. उ0नि0 धीरज भारद्वाज कोतवाली दुबग्गा लखनऊ।
2. उ0नि0 बृजेन्द्र पाण्डेय कोतवाली दुबग्गा लखनऊ।
3. का0 सतीश चौहान कोतवाली दुबग्गा लखनऊ।
4. का0 देवेन्द्र कोतवाली दुबग्गा लखनऊ।
5. का0 वसीम कोतवाली दुबग्गा लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-241
दिनांक 09.02.2026

शातिर अभियुक्तगण गैंगलीडर आशीष सिंह उर्फ राजा सदस्य 1. मनीष सिंह 2. अवनीश सिंह द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित सम्पत्तियों को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया।

01-कार्यवाही-

आज दिनांक 09.02.2025 को माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के शातिर अभियुक्तगण गैंगलीडर आशीष सिंह उर्फ राजा सदस्य 1. मनीष सिंह 2. अवनीश सिंह चौहान पुत्रगण स्व0 सुखवीर सिंह निवासी 442 जनरैलगंज निकट अतुल मेमोरियल स्कूल थाना ठाकुरगंज, लखनऊ पर कड़ी कार्यवाही के क्रम में उनके द्वारा अपराध के माध्यम से धनोपार्जन कर अर्जित की गयी अब तक चिन्हित चल व अचल सम्पत्तियों मु0 **1,45,00,000/- (एक करोड़ पैतालिस लाख रूपये)** को उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत राज्य के पक्ष में कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, परन्तु आर्थिक और भौतिक लाभ के लालच में अपराध का रास्ता चुना। इस गैंग द्वारा पहली बार वर्ष 2018 में प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से जेसीबी (JCB) से बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई थी और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके संबंध में प्रथम अपराध दर्ज किया गया। इस घटना के बाद, अभियुक्तों का मन बढ़ता गया और वे अपराध की ओर अग्रसर हो गए। उन्होंने एक सुसंगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु विभिन्न अपराधों में संलिप्तता जारी रखी। उनके दुस्साहसिक कृत्यों में तोड़फोड़ कर संपत्ति का नुकसान करना, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देना, अमानत में खयानत और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इस गिरोह का जनता में इतना भय व आतंक व्याप्त है, कि आम लोग उनके विरुद्ध शिकायत करने या गवाही देने का साहस नहीं कर पाते।

इन आपराधिक कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से, गैंगचार्ट तैयार कर अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिसके उपरांत गिरोहबंद अधिनियम के तहत थाना ठाकुरगंज, लखनऊ में मु0अ0सं0 242/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज, लखनऊ द्वारा की जा रही है। अब तक की जांच और साक्ष्यों के संकलन से अभियुक्तों के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम के तहत अपराध कारित किए जाने के साक्ष्य पाए गए हैं।

विवेचना के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अपराध के माध्यम से धनार्जन कर अर्जित की गई अब तक चिन्हित कुल चल व अचल सम्पत्ति **1,45,00,000/- (एक करोड़ पैतालिस लाख रूपये)** की पहचान की गई है। चूंकि इन संपत्तियों के अर्जन का अभियुक्तों के पास अपराध से अर्जित करने के अलावा आय का कोई ज्ञात वैध स्रोत नहीं है, इसलिए प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज, लखनऊ के प्रस्ताव पर गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के तहत इन संपत्तियों को राज्य के पक्ष में कुर्क किए जाने का आदेश आज दिनांक 09.02.2026 को पारित किया गया है।

03-गिरोह का सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास निम्नवत हैं-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	670/2018	427/506 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
2	436/2020	323/504/506 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
3	392/2021	323/504/506 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
4	191/2022	406/420/504/506 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
5	288/2022	341/504/506 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
6	287/2022	406/420/504/506 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
7	248/2022	448/504/506 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
8	406/2022	406/420/467/468/471/506 IPC	ठाकुरगंज	लखनऊ
9	207/2022	419/420/467/468/471/447/504 IPC	वजीरगंज	लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-242
दिनांक–09.02.2026

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना-कैसरबाग क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

संक्षिप्त विवरण-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 220(30)/2025 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक-09.02.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0सं0	वादसं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिक इतिहास				जिलाबदर की अवधि
				क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
सआदतगंज	1	01(01)/2026	मो0 सद्दाम उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र स्व0 भैया जी उर्फ मो0 हुसैन निवासी 116/63 घसियारी मण्डी, थाना कैसरबाग, लखनऊ।	1	106/2016	धारा 457/380 IPC	कैसरबाग	06 माह
				2	267/2017	धारा 380/411 IPC	कैसरबाग	
				3	130/2024	धारा 115(2)/352/351(2) BNS व 3(1)(द)/3(1)(ध) SC ST Act	कैसरबाग	
				4	188/2024	धारा 191(2)/333/115(2)/352/351(2) BNS	कैसरबाग	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-245
दिनांक- 09.02.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना- बाजारखाला

- **आम जन मानस को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक मांझे के साथ 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**
- **गिरफ्तार शातिर अभियुक्तों के कब्जे से खतरनाक मांझे की 03 अदद चरखी व 11 अदद पतंग बरामद।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 09.02.2026 को थाना बाजारखाला अन्तर्गत चाइनिज मांझे के निर्माण,भण्डारण एवं सिंथेटिक मांझा /सीसा लेपित/नायलांन पतंग डोरी एवं भण्डारण ,उपयोग एवं बिक्री पर रोक लगाये जाने हेतु दिनांक- 06.02.2026 से 12.02.2026 तक एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाय जा रहा है।

थाना बाजारखाला पुलिस टीम द्वारा दो शातिर अभियुक्त क्रमशः 1. सदफ अली पुत्र हैदर अली उम्र करीब 20 वर्ष निवासी-मलेशेमऊ गोमती नगर लखनऊ 2. अयान खान पुत्र चन्दू निवासी- मलेशेमऊ गोमती नगर लखनऊ को हैदरगंज तिराहा से संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेंकिग के दौरान रोका गया तो दोनो गिरफ्तार शातिर अभियुक्तो के कब्जे से खतरनाक मांझे की 03 अदद चरखी व 11 पतंग मोटरसाईकिल वाहन नं0- up 32 mw 0683 प्लेटिना को किया गया बरामद।

उक्त संबंध में थाना स्थानीय मु0अ0सं0-27/2026 धारा 270 BNS मे अभियोग पंजीकृत किया गया उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0-27/2026 धारा 270 BNS थाना बाजारखाला लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. सदफ अली पुत्र हैदर अली उम्र करीब 20 वर्ष निवासी-मलेशेमऊ गोमती नगर लखनऊ।
2. अयान खान पुत्र चन्दू उम्र करीब 21वर्ष निवासी- मलेशेमऊ गोमती नगर लखनऊ।

04-बरामदगी:-

- खतरनाक मांझा की 03 अदद चरखी
- 11 अदद पतंग
- मोटरसाईकिल वाहन नं0- up 32 mw 0683 प्लेटिना।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना बाजारखाला:-

1. व0उ0नि0 श्री सुरेश कुमार सिहं
2. उ0नि0 श्री सरबर आलम
3. टीएसआई धीरज कुमार दीक्षित
4. का0 टीपी रंजीत कुमार यादव